

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं.	828]	नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 19, 2018 ⁄कार्तिक 28, 1940
No.	828]	NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 19, 2018/KARTIKA 28, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2018

सा.का.नि. 1128(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (बारहवां संशोधन) नियम, 2018 है।
 - (2) ये 5 दिसंबर, 2018 से प्रवृत्त होंगे।
- 2. आयकर नियम, 1962 में,—
 - (।) नियम 114 में,—
 - (अ) उपनियम (3) के खंड (iv) के पश्चातृ निम्नलिखित खंड अंत∶स्थापित किए जाएंगे, अर्थातृ :—
 - "(v) किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो किसी व्यष्टि से भिन्न निवासी है, जो किसी वित्तीय वर्ष में दो लाख पचास हजार रुपए या उससे अधिक की कुल रकम का वित्तीय संव्यवहार करता है और जिसे स्थायी लेखा संख्यांक आबंटित नहीं किया गया है, ऐसे वित्तीय वर्ष की ठीक पश्चात् 31 मई को या उससे पूर्व किया जाएगा:
 - (vi) किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो खंड (v) में निर्दिष्ट व्यक्ति का प्रबंध निदेशक, निदेशक, भागीदार, न्यासी, लेखक, संप्रवर्तक, कर्ता, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रधान अधिकारी या पदाधिकारी है या खंड (v) में निर्दिष्ट व्यक्ति की ओर से कार्य करने के लिए सक्षम कोई व्यक्ति है और जिसे कोई स्थायी लेखा

6776 GI/2018 (1)

(आ)

संख्यांक आबंटित नहीं किय इसमें विनिर्दिष्ट वित्तीय सं					यक्ति
उपनियम (6) में,—	 (,)		<i></i>	, ,	
	 •	_	5 5: 5	`	_

- "(i) ''उपनियम (4) के अधीन आवेदन के साथ फाइल किए गए दस्तावेजों के सत्यापन के लिए या उपनियम (5) में आधार संख्यांक सूचित करने के लिए" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "उपनियम (4) के अधीन आवेदन के साथ फाइल किए गए दस्तावेजों के सत्यापन के लिए, उपनियम (5) में आधार संख्यांक सूचित करने के लिए और स्थायी लेखा संख्यांक जारी करने के लिए" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;
- (ii) "स्थायी लेखा संख्यांक के आबंटन और आधार संख्यांक सूचित करने के लिए" शब्दों के स्थान पर "स्थायी लेखा संख्यांक के आबंटन, आधार संख्यांक सूचित करने और स्थायी लेखा संख्यांक जारी करने के लिए" शब्द रखे जाएंगे।";
- न

										संख्या जाएंग्				गंख्य <u>ा</u>	6 औ	र उस	से संबं	धित	प्रविषि	ेटयों के	र स्थ	ान
	"6 .	माता	-पिता	के ब्य	गैरे (वे	विल व	व्यक्ति	ा आवे	दकों व	को ला	गू)											
		क्या म् चाहते		एकल '	जनित	π है अ	गौर क्	या आ	प केव	ल अप	ानी म] हां		ग नाम						- 0	आवेदन त्त करें		ना
यदि	हां, त	नो नी	चे दिए	, गए	समुचि	त्रत स्थ	ान में	माता	कान	ाम भ	रें।											
			(अनिव देते हुए	-			स दश	ा के,	जहां	माता	एकल	जनि	ता है	और	स्थार्य	ो लेख	ा संख्य	याके	लिए व	आवेदन	। केव	ग ल
अंति	मि ना	म/उप	नाम																			
प्रथः	म नाम	Γ																				
मध्य	ा नाम																			-		
मात	ा का	नाम	(वैकरि	ल्पक ह	है सिव	गय उ	स दश	πके,	जहां	माता	एकल	जिन	ता है	और	स्थार्य	ो लेख	ा संख्य	याके	लिए व	आवेदन	ा केट	গ ল

माता का नाम देते हुए किया गया है) अंतिम नाम/उपनाम प्रथम नाम

मध्य	नाम	•									

माता या पिता के नाम का चयन करें, करें)	जिसे आप स्थायी	िलेखा संख्या में मुद्रित करवाना चाहते हैं (केवल किसी एक का च	यन
पिता का नाम	माता का नाम	(जो लागू हो उसे चिह्नांकित करें)	

(यदि कोई विकल्प नहीं दिया गया है तो पैन कार्ड पिता के नाम के साथ जारी किया जाएगा सिवाय उस दशा के, जहां माता एकल जिनता है और स्थायी लेखा संख्या के लिए आवेदन केवल माता का नाम देते हुए किया गया है)

[अधिसूचना सं. 82/2018/फा. सं. 370142/40/2016-टीपीएल (भाग-I)]

डॉ. टी.एस.मपवाल, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1068(अ), तारीख 25 अक्तूबर, 2018 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November, 2018

- **G.S.R.** 1128(E).—In exercise of the powers conferred by section 139A read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—
- **1. Short, title and commencement.**—(1) These rules may be called the Income—tax (Twelfth Amendment) Rules, 2018.
 - (2) They shall come into force from the 5thday of December, 2018.
- 2. In the Income-tax Rules, 1962,
 - (I) in rule 114,—
 - (A) in sub-rule (3), after clause (iv), the following clauses shall be inserted, namely:—
 - "(v) in the case of a person, being a resident, other than an individual, which enters into a financial transaction of an amount aggregating to two lakh fifty thousand rupees or more in a financial year and which has not been allotted any permanent account number, on or before the 31st day of May immediately following such financial year;
 - (vi) in the case of a person, who is the managing director, director, partner, trustee, author, founder, karta, chief executive officer, principal officer or office bearer of the person referred to in clause (v) or any person competent to act on behalf of the person referred to in clause (v) and who has not been allotted any permanent account number, on or before the 31st day of May immediately following the financial year in which the person referred to in clause (v) enters into financial transaction specified therein.";
 - (B) in sub-rule (6),—
 - "(i) for the words, brackets and figures "under sub-rule (4) or intimation of Aadhaar number in sub-rule (5)", the words, brackets and figures "under sub-rule (4), intimation of Aadhaar number in sub-rule (5) and issue of permanent account number" shall be substituted;
 - (ii) for the words "number and intimation of Aadhaar number", the words "number, intimation of Aadhaar number and issue of permanent account number" shall be substituted.";

(II) in Appendix II, in Form number 49A and Form number 49AA, for serial number 6 and entries relating thereto, the following serial number and entries thereto shall be substituted, namely:— "6.Details of Parents (applicable only for individual applicants) Whether mother is a single parent and you wish to apply for PAN by furnishing the name of your mother No (please tick as applicable) only? If yes, please fill in mother's name in the appropriate space provide below. Father's Name (Mandatory except where mother is a single parent and PAN is applied by furnishing the name of mother only) Last Name / Surname First Name Middle Name Mother's Name (optional except where mother is a single parent and PAN is applied by furnishing the name of mother only) Last Name / Surname First Name Middle Name Select the name of either father or mother which you may like to be printed on PAN card (Select one only) Mother's name (Please tick as applicable) Father's name (In case no option is provided then PAN card will be issued with father's name except where mother is a single parent and you wish to apply for PAN by furnishing name of the mother only)'. [Notification No. 82/2018/F.No. 370142/40/2016-TPL (Part-I)] Dr. T. S. MAPWAL, Under Secy. Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3,

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 969(E), dated the 26thMarch, 1962 and last amended *vide* notification number G.S.R. 1068(E), dated the 25th October, 2018.